भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 1305

(जिसका उत्तर मंगलवार, 14 मार्च, 2017 को दिया गया)

अदालती मुकदमों में कमी लाने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन किया जाना

1305. श्री संजय सेठ :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय से संबंधित लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए तंत्र बनाने हेतु कोई विशेषज्ञ दल गठित किया है अथवा किए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती संख्या के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) मंत्रालय ने अपने से संबंधित लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना हेतु कोई विशेषज्ञ दल गठित नहीं किया है और न ही ऐसा कोई दल गठित करने का प्रस्ताव है।

(ख) मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****